निगरानी प्रकरण सं0 18/17

1. भूपेन्द्र रानी , सरपंच ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला वीपीओ साहिबसिंहवाला पंचायत समिति श्रीगंगानगर

प्रार्थीया

बनाम

1. कलदीप सिंह पुत्र श्री राम सिंह , वार्ड पंच वार्ड नम्बर 06
2. मनजीत कौर पत्नी श्री इकबाल सिह , वार्ड पंच, वार्ड नम्बर 01
3. परमजीत कौर पत्नी श्रीजसवीर सिह , वार्ड नम्बर 4
4. गुरमीत कौर पत्नी श्री लखवीर सिह , वार्ड नम्बर 2
5. गुरतेज सिंह पुत्र लाल सिंह , वार्ड पंच, वार्ड नम्बर 3
6. मक्खन सिह पुत्र विचित्र सिह , वार्ड पंच , वार्ड नम्बर 7 ग्राम पंचायत साहिबसिहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ,श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व इस आश्य की अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 07 को इस आश्य का एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रार्थी सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जाकर उसे हटाया जावें।

उपस्थित : 1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड, अधिवक्ता, प्रार्थीया
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक :–04.10.2017

प्रस्तुत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर के यहा प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 17.04.2017 को संभागीय आयुक्त बीकानेर, संभाग बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्वाचित वार्ड पंचो द्वारा लगतार तीन मीटिंगों में भाग न लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आदेश दिया। यह जांच रिपोर्ट अभी लम्बित थी, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.04.2017 को अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में अप्रार्थी सख्या 07 द्वारा मीटिंग की तारीख 05.05.2017 को समय 11.30 बजे आयोजित किये जाने का नोटिस दिनांक 12.04.2017 को जारी किया। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता निवदेन करती है कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी दिनांक 14.02.2017 को अप्रार्थी संख्या 7 के यहां प्रार्थना पत्र अविश्वास प्रस्ताव लाने का निवेदन किया था जो खारिज कर दिया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 17.04.2017 के सम्बन्ध में जांच लम्बित थी इस जांच को छुपाते हुए अप्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र अविश्वास का दिया वो पूर्णतः विधि विरूद्व अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस निगरानीकर्ता को दिया गया और दिनांक 05.05.2017 को अवश्विास पारित करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्व आदेश बहुमत से अवश्विास पारित होने के कारण निगरानीकर्ता को सरपंच पद का धारण करना बंद कर देगी और पद रिक्त कर देगी। पंचायत अधिनियम की धारा 38 है जिसकी चित्रप्रतिलिपि सलंग्न है जिसमें धारा 5 में उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी पद से हटाया जाता है तो धारा 38 पंचायत अधिनियम की सब क्लाज 5 जो निम्न हैः–(5) इस धारा के अधीन अदभूत किसी भी मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय, धारा 97 के अधीन किये गये किसी आदेश के अध्याधीन रहते हुए, अन्तिम

निगरानीकर्ता के हक में है। यदि निगरानी के दौरान पुनः चुनाव प्रकिया अपनाकर सरपंच का निर्वाचन कर दिया जाता है तो निगरानीकर्ता को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निगरानी स्वीकार की जावें । दिनांक 05.05.2017 को अविश्वास प्रस्ताव जो बिना सुने पारित किया गया है उसे अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी 01, 03 ता 06 ने प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अनवानी प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों व पक्षकारों को संयोजित करते हुए निगरानीकर्ता द्वारा एक याचिका सख्या 5477/17 राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रांम पंचायत साहिबसिंहवाला के प्रस्ताव संख्या 05.05.2017 व जिला परिषद की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहते हुए पेश कर रखी है जो विचाराधीन है (जिसकी छाया प्रति सलंग्न है) । श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त निगरानी व हाईकोर्ट की याचिका के तथ्य समान है इस लिए धारा 10 सीपीपी के प्रावधानो के अनुसार उक्त प्रकरण चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी प्रकरण संख्या 18/2017 की कार्यवाही इसी स्तर पर रोकी जावें ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को बार बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नही हुए।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा एक याचिका सख्या 5477/17 राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रांम पंचायत साहिबसिंहवाला के प्रस्ताव संख्या 05.05.2017 व जिला परिषद की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहते हुए पेश कर रखी है जो विचाराधीन है (जिसकी छाया प्रति सलंग्न है) । श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त निगरानी व हाईकोर्ट की याचिका के तथ्य समान है इस लिए धारा 10 सीपीपी के प्रावधानो के अनुसार उक्त प्रकरण चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी प्रकरण संख्या 18/2017 की कार्यवाही इसी स्तर पर रोकी जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि पंचायत राज अधिनियम के विहित प्रावधानो के तहत प्रकरण अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित है और इसके लिए बकाया पंचायती राज अधिनियम में एक प्रकिया निर्धारित की हुई है, जिसका अनुसरण करते हुए निगरानीधीन कार्यवाही है। प्रकरण निर्वाचन से सम्बन्धित भी है। यदि निर्वाचन के और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई अवैघानिकता किसी को दृष्टिगोचर होती है तो वह उक्त अधिनियम के तहत की गई विधिक कार्यवाही राज्य सरकार/सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर कर चाराजोही कर सकता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हस्तगस्त निगरानी इस न्यायालय में चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है

आदेश आज दिनांक 04.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।